

पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1/प्रा०आ०-0-3-25/2012-01(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 04.05.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत-उप शीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद में 3.00 (तीन) लाख रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 531/आ०प्र० दिनांक 05.06.2012 द्वारा अंचल अधिकारी, पटना सदर को उपावटित किया गया है।

पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-1/प्रा०आ०-0-3-25/2012-76(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 22.01.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत-उप शीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद में 7.50 (सात लाख पचास हजार) लाख रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्नरूपेण उपावटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012-13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या-39, यूनिट कोड-31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा।

क्रमांक	उपावटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावटित राशि (लाख रू० में)	वर्तमान उपावटित राशि (लाख रू० में)	योग (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
01.	अंचल अधिकारी, पटना सदर।	3.00	2.00	5.00
02.	अंचल अधिकारी, बिहटा।	0.00	2.00	2.00
03.	अंचल अधिकारी, धनरूआ।	0.00	1.50	1.50
कुल उपावटित राशि :-		3.00	5.50	8.50
जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि				2.00
कुल योग :-				10.50

- यह उपावटन चालू वित्तीय वर्ष चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि के लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत-उप शीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान विपत्र कोड संख्या एन० 2245021010003 के मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उपावटित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में अग्निकांड से मृत व्यक्तियों के संतप्त परिवार को अनुग्रह अनुदान भुगतान मद में किया जायेगा, जिसकी स्वीकृति अंचल कार्यालय, पटना सदर के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 16/2011-12 एवं 02/2012-13, अंचल कार्यालय, बिहटा के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 20/2010-11 तथा अंचल कार्यालय, धनरूआ के अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 01/2012-13 में प्रदत्त की गई है।

अंचल अधिकारी, पटना सदर, बिहटा एवं धनरूआ भली भांति जांच एवं सम्यक सत्यापनोपरांत स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अग्निकांड से मृत व्यक्तियों के संतप्त परिवार को अनुग्रह अनुदान के रूप में देय राशि का भुगतान करेंगे तथा इसकी सूचना अविलंब इस कार्यालय को भी देंगे।

3. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।
5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी० 2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,

पटना।

ज्ञापांक IV-10/2013 : 127 /आ०प्र०, दिनांक 08/02/2013

- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पटना सदर, बिहटा एवं धनरूआ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, दानापुर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

2/11/13
12/2/13

जिला पदाधिकारी,
पटना।